कार्यालय :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, साहेबगंज

:- अति अल्पकालिन निविदा :-

साहेबगंज जिलान्तर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए National Health Mission (NHM) अन्तर्गत चल रहे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के लिए दवा, सामग्री एवं उपकरण इत्यादि क्रय करने की आवश्यकता है। इसके लिए इच्छुक दवा निर्माता कम्पनी/प्राधिकृत स्टॉकिस्ट/हॉल सेलर से निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

शर्तें

1. इच्छुक निविदादाता का निविदा मोहरबंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्वयं निविदादाता या प्रतिनिधि के हाथों–हाथ में दिनांक 26.11.2016 को संध्या 05.00 बजे तक सिविल सर्जन कार्यालय, साहेबगंज में प्राप्त किया जायेगा।
2. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. निविदादाता दवा, सामग्री एवं उपकरण इत्यादि की सूची एवं निविदा की शर्तें कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से रू0 2000/– (दो हजार) रू0 का ड्रॉफ्ट **जिला स्वास्थ्य समिति, साहेबगंज** के नाम से जमा कर दिनांक 12.11.2016 से 19.11.2016 के संध्या 05.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। ड्रॉफ्ट की राशि वापस नहीं किया जायेगा।
4. प्राप्त निविदा दिनांक 28.11.2016 के अपराहन् 02.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोला जायेगा।
5. निविदा दो भागों में (1) तकनिकी एवं (2) वित्तीय निविदा होगा, दोनो एक बड़े लिफाफ में बंद होगा। जो निर्माता कम्पनी/प्राधिकृत स्टॉकिस्ट/हॉल सेलर तकनिकी बीड में पास करेगी उसी का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
6. तकनिकी निविदा लिफाफे के अन्दर :–
   (क) राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा काली सूची में चिन्हित नहीं करने से संबंधित प्रमाण–पत्र (100/– रू0 के Stamp) संलग्न करना अनिवार्य है तथा प्रतिष्ठान रून्नावस्था में नहीं रहने का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।
   (ख) आयकर तथा बिक्रीकर का अद्यतन प्रमाण–पत्र।
   (ग) निविदादाता को यह शपथ–पत्र देना होगा की उनके प्रतिष्ठान के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला दर्ज नहीं है तथा उनके विरूद्ध कोई आरोप तथा जाँच लम्बित नहीं है।
   (घ) औषधी के मामले में WHO/GMP का प्रमाण–पत्र संलग्न करना है।
   (ड़) जिस निविदादाता द्वारा अंकित दर अधिकतम संख्या में न्यूनतम पाया जायेगा, शेष सामग्रियों की आपूर्ति हेतु उन्हीं को ही मौका देने पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।
   (च) झारखण्ड राज्य में निविदादाता का कार्यालय/डिपो/स्टॉकिस्ट/डीलर होने का Under Taking देना होगा।
   (छ) निविदादाता को पैन कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करना होगा।
   (ज) निविदादाता का वित्तीय वर्ष 2015–16 का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा। जिसका सालाना न्यूनतम टर्नओवर 50 लाख होना चाहिए। 50 लाख से कम टर्नओवर वाली निर्माता कम्पनी/प्राधिकृत स्टॉकिस्ट/हॉल सेलर इस निविदा को भरने के लिए सक्षम नहीं होगें।
   (झ) निविदादाता को पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न का प्रमाण–पत्र देना होगा।
   (ञ) निविदा के साथ 50,000/– (पचास हजार रूपये) का अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट जो **जिला स्वास्थ्य समिति, साहेबगंज** के नाम से भुगदेय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   (ट) निविदा के साथ वाणिज्यकर का स्वच्छता प्रमाण–प्रत्र (No Objection Certificate) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   (ठ) निविदादाता को अपने ड्रग लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. वित्तीय निविदा :– दवा का दर सभी कर एवं अधिभार सहित देना होगा। जिसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।
8. दवा, सामग्री एवं उपकरण का वितरण जिला एवं प्रखण्ड के भण्डारगृह तक करना होगा। इसके लिए अलग से कोई अधिभार देय नहीं होगा।
9. आपूर्ति की गयी दवा/सामग्री/उपकरण की गुणवत्ता निम्नस्तर का पाये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा अपने खर्चे पर दवा का प्रतिस्थापन मानक गुणवत्ता वाले दवा/सामग्री/उपकरण की आपूर्ति करनी होगी।
10. भुगतान हेतु 03 प्रतियों में विपत्र देना होगा।
11. दवा/सामग्री/उपकरण का दर कम्प्यूटरीकृत होना चाहिए। हस्तलिखित स्वीकर नहीं किया जायेगा।
12. आपूर्ति दवा/सामग्री/उपकरण का Self Life आपूर्ति के समय 80 प्रतिशत होना चाहिए या न्यूनतम 18 माह से कम नहीं होना चाहिए।
13. दवा की सूची के अनुसार दवा का नाम, दवा निर्माण करने वाले निर्माता कम्पनी का नाम, दवा पैकिंग मात्रा दर, बिक्री कर अंकित करना होगा।
14. आपूर्तित दवाओं के स्ट्रीप, भाईल, शीशी पर "Govt Supply Not For Sale" अंकित करना आवश्यक होगा।
15. तकनिकी निविदा में संलग्न प्रपत्र की सूची (Index) पेज नं0 के साथ देना अनिवार्य होगा एवं सभी प्रपत्र स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।
16. किसी भी वैधानिक मामले के निष्पादन हेतु साहेबगंज न्यायालय होगा।
17. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा तथा इसके लिए कोई सूचना अलग से प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
18. आदेश निर्गत की तिथि से 01 माह के अन्दर आदेशित सामग्री को साहेबगंज जिला अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के भण्डारगृह तक आपूर्ति करना होगा।

12/11/2016

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, साहेबगंज।

Rajeev 12.11.16

Rishikesh Kumar Computer Operator (R 1)